

**न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-673 / 2012

संस्थित दिनांक-17.08.2012

फाईलिंग क्र.234503000242012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

1-मिलोकीदास उर्फ फत्तू पिता सुखदास मांगरे, उम्र-34 वर्ष, जाति पनका,
निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-बीरबल पिता सुखदास मांगरे, उम्र-30 वर्ष, जाति पनका,
निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

3-धानूदास पिता सुखदास मांगरे, उम्र-28 वर्ष, जाति पनका,
निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

4-सोनीबाई पति सुखदास मांगरे, उम्र-59 वर्ष, जाति पनका,
निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-04 / 11 / 2016 को घोषित)

1- आरोपी मिलोकीदास के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-342, 323 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-06.07.2012 को शाम 5:00 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव में फरियादी श्रीमती रूपा मांगरे को कमरे बंद कर उसे सदोष परिरोध कारित किया, फरियादी रूपा मांगरे को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा आरोपी मिलोकीदास, सुखदास, सोनीबाई, बीरबल, धानूदास के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए) के तहत आरोप है कि उन्होंने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी रूपा मांगरे के पति व पति के रिश्तेदार होते हुए फरियादी श्रीमती रूपा मांगरे से दहेज जैसी अवैध मांग की, जिसकी पूर्ति में फरियादी को प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रूपा मांगरे ने दिनांक-06.07.2012 को पुलिस थाना मलाजखण्ड आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई

कि उसका विवाह मोहगांव निवासी मिलोकीदास से लगभग 3 वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग एक वर्ष पूर्व उसके पति ने कहा कि वह अपने माँ-बाप के पास से 50,000/-रुपये लेकर आए तभी वह उसे अपने साथ रखेगा। उसने यह खबर अपने मायके में माता-पिता को भिजवाई तो उसके माता-पिता ने 25,000/-रुपये दिये। इस बात को लेकर उसके पति, देवर, सास व ससुर ने उसके साथ विवाद किया और उसके साथ मारपीट की। उसका पति उसे धोखे से गर्भपात कराने की दवा भी खिलाता था तथा एक अन्य महिला से उसके पति के संबंध है। उसके पति के उपरोक्त कृत्यों में उसकी सास, ससुर, व देवर भी साथ देते हैं। दिनांक-06.07.2012 को आरोपीगण ने उसके साथ डण्डे व हाथ-घूसों से मारपीट की और उसे कमरे में बंद कर दिया। बाद में उसने अपने घरवालों को सूचना दी, तब उसे निकाला गया। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-79/12, अंतर्गत धारा-498(ए), 342, 34 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- प्रकरण में आरोपी सुखदास मांगरे की मृत्यु हो जाने से एवं मृत्यु प्रमाणपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किये जाने से उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की गई है।

4- आरोपी मिलोकीदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-342, 323 एवं 498(ए) के अंतर्गत तथा आरोपी सोनीबाई, सुखदास, बीरबल, धानूदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से शमनीय प्रकृति की धारा-342, 323 भा.द.वि. के अपराध के आरोप से आरोपी मिलोकीदास को दोषमुक्त किया गया है तथा शेष धारा-498(ए) शमनीय प्रकृति की न होने से सभी आरोपीगण के विरुद्ध उसका विचारण किया गया है।

5- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-06.07.2012 को शाम 5:00 बजे, थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव में फरियादी श्रीमती रूपा मांगरे के पति व पति के नातेदार होते हुए फरियादी श्रीमती रूपा मांगरे से दहेज जैसी अवैध मांग की, जिसकी पूर्ति में फरियादी को प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

6- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी श्रीमती रूपाबाई अ.सा.1 ने अपने कथन में कहा है कि आरोपी मिलोकीदास उसका पति है, आरोपी सुखदास उसका ससुर

है, आरोपी सोनीबाई उसकी सास है तथा आरोपी बीरबल एवं धानू उसके देवर हैं। उसका विवाह आरोपी मिलोकीदास से 10 वर्ष पूर्व हुआ था। आरोपी मिलोकीदास से उसे तीन पुत्रियां उत्पन्न हुई। आरोपीगण ने विवाह के पश्चात उसे सुखपूर्वक अपने घर में रखा। उसका अपने पति से मामूली बात पर विवाद हुआ था, इसलिए वह अपने मायके लामटा चली गई थी। उसने विवाद के संबंध में थाना मलाजखण्ड में शिकायत की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ था। पुलिस ने घटना का मौकानक्शा बनाया था और उसने पुलिस को बयान दिए थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी मिलोकीदास ने उसे 50,000/-रुपये मायके से लाने के लिए कहा था, जिस पर उसे पिता ने 25,000/-रुपये दिए थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि शेष 25,000/-रुपये नहीं देने की बात पर आरोपीगण उसके साथ मारपीट करते रहे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है।

7— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी ओमबती अ.सा.2, मगनदास अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वे आरोपीगण व फरियादी को जानते हैं। फरियादी रूपाबाई उनकी पुत्री है। उनकी पुत्री का आरोपीगण के साथ मौखिक विवाद हुआ था, इसके अतिरिक्त आरोपीगण ने फरियादी रूपाबाई के साथ कोई घटना कारित नहीं की। अभियोजन द्वारा साक्षीगण को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने उनकी पुत्री रूपाबाई को 50,000/-रुपये लाने के लिए कहा था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण ने उनकी पुत्री रूपाबाई को कमरे में बंद कर मारपीट की थी। उपरोक्त साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण से उनकी पुत्री का राजीनामा हो गया है।

8— प्रकरण में आरोपीगण तथा फरियादी पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया, जिससे आरोपीगण को शमनीय प्रकृति की धारा-342, 323 में दोषमुक्त किया जा चुका है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498(ए) शमनीय प्रकृति की न होने से निर्णय किया जा रहा है। प्रकरण में रूपाबाई ने स्वयं यह कहा है कि आरोपीगण से उसका मौखिक विवाद हुआ था। आरोपीगण ने उसे सुखपूर्वक अपने घर में रखा था। विवाद होने के कारण वह अपने मायके चले गई थी। अभियोजन साक्षी ओमबती अ.सा.2, मगनदास अ.सा.3 जो फरियादी के माता-पिता हैं, उन्होंने भी आरोपीगण द्वारा फरियादी को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किये जाने के कथन किये हैं। उपरोक्त स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतएव आरोपीगण को

भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

9— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहें हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

10— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)